

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 105/सोकर 1999-2000

यह प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन सुजुक्शन रुफ्ट
अलपेन्ट सोसायटी जिला सोकर का
नाम का धाना
राजस्थान सस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सोल से आज
दिनांक अठ्ठीस माह नवम्बर सन् एक हजार नौ सौ निन्यासेन को
सोकर में दिया गया।

(सौ. एम. शोक्न)
रजिस्ट्रार (संस्थाएं)
रजिस्ट्रार सस्थाएं
सोकर

राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।

